न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 33/17 निर्णय दिनांक 20/12/2017

1. दुलाराम पुत्र भैराराम जाति नायक निवासी कंवलीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. जगमाल पुत्र धनाराम जाति बिश्नोई निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नोखा

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा

दिनांक 11.05.2017

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11–05–2017 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि विरूद्व खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. (ए) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही कंवलीसर के खेत खसरा नम्बर 206 तादादी 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 382 तादादी 2.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 तादादी 2.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 तादादी 6.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 416 तादादी 2.15 हेक्टर कुल तादादी 14.25 हेक्टर भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि निहित है। अपीलांट के दक्षिण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 380 तादादी 5.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 457 तादादी 4.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 तादादी 4.28 हेक्टर कुल तादादी 14.24 हेक्टर भूमि स्थित है।

उन्होंने आगे बताया कि मौके की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि मौके पर जिस भूमि पर अपीलांट का कब्जा है वह भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित है तथा जिस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा है उक्त भूमि अपीलांट के नाम अंकित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वर्तमान इन्द्राज के आधार पर सीमा ज्ञान करवा कर अपीलांट के कब्जे काश्त में दखंलदाजी करने को तत्पर होने पर अपीलांट ने घोषणा करवाने के लिए अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। जिसे अदालत मातहत द्वारा

गलत आधारों पर खारिज किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तत कर अपीलांट का दावा स्वीकार करने तथा उसी अनुपात में भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने की सहमति भी प्रदान की गई थी। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा खारिज किया गया है।

अदालत मातहत ने अपने निर्णय व डिक्री का मुख्य आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 को माना है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा में धारा 42 के प्रावधान प्रभावित नहीं होते है। मामलें में समान अनुपात में भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज होनी है। धारा 42 के तहत किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं होना है। अदालत मातहत द्वारा धारा 42 का सहारा लेकर गलत तरीके से दावा खारिज किया है। जबकि मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक दूसरे के खेत खसरा नम्बरान् पर काबिज होकर काश्त है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के दावे को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जरिये राजीनामा स्वीकार कर लिया था इसलिए अपीलांट को दावे में किसी अन्य दस्तावेजात् साक्ष्य के आधार पर साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार दावा अपीलांट स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 पार्ट I पेज 519 व आरबीजे 2016 पेज 245 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

4. (ए) विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रतीत हो कि वादगत् भूमि किस प्रकार गलत रूप से दर्ज हुई है। कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि किसी भी प्रकार से सामान्य जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः अपीलांट का अपीला बोगस लिटिगेशन की परिभाषा में आता है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक दावा इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट दुलाराम पुत्र भैराराम जाति नायक के कब्जे काश्त की भूमि वाके रोही कंवलीसर के खेत खसरा नम्बर 206 तादादी 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 382 तादादी 2.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 तादादी 2.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 412 तादादी 6.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 416 तादादी 2.15 हेक्टर कुल तादादी 14.25 हेक्टर भूमि निहित है व अपीलांट की खातेदारी भूमि के दक्षिण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जगमाल पुत्र धनाराम जाति बिश्नोई के कब्जे में खसरा नम्बर 380 तादादी 5.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 457 तादादी 4.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 462 तादादी 4.28 हेक्टर कुल तादादी 14.24 हेक्टर भूमि स्थित है।

(2) अपीलांट का यह कथन कि जिस भूमि पर अपीलांट का कब्जा है वह भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित है तथा जिस भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है उक्त भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–01–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए व स्टेट जो कि आवश्यक पक्षकार है, जवाब प्राप्त करते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर